Encl- 06

प्राप्त
दिनांक 5.6.2009
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

संo– 657 /IV(2)–शoविo–09–65(साo)/09

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

06/6/09

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 :

देहरादूनः दिनांक– ३ जून मई, 2009

विषयः– सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून (Public Disclosure Law) के सम्बन्ध में।

महोदय,

सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून उत्तराखण्ड स्थानीय निकाय अधिनियम हेतु प्रस्तावित विधेयक में सम्मिलित किया गया है। चूंकि उक्त विधेयक अभी तैयारी की प्रक्रिया में है और भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक प्रकटीकरण की व्यवस्था स्थानीय निकायों में भी लागू की जानी है, जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत भी अनिवार्यता है।

अतएव राज्य की समस्त शहरी स्थानीय निकायों के क्रिया–कलापों तथा प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं अधिक उत्तरदायी बनाने के दृष्टिगत निकाय के विभिन्न पहलूओं से सम्बन्धित कार्यो को जन साधारण के सूचना हेतु निकायों द्वारा प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य की समस्त शहरी स्थानीय निकायों सार्वजनिक प्रकटीकरण व्यवस्था को लागू किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1– प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय तिमाही, छमाही और वार्षिक अंतराल पर जनता को सूचना प्रकट करने के लिए अपने सभी अभिलेखों को, युक्तियुक्त प्रारूप पर और रीति से, अनुरक्षित और प्रकाशित करेगी।

2– सामान्य जनता तथा अन्य पणधारियों (stakeholders) को सूचना प्रकट करने की रीति निम्नवत् होगी:–

(i) समाचार–पत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रकाशन करना,
(ii) इंटरनेट द्वारा (वेबसाइट बनाकर),

(iii) शहरी स्थानीय निकायों के सूचनापट पर सूचना चिपकाकर या दीवार पर लिखवाकर,

(iv) कक्ष समिति/कक्ष सभा तथा मौहल्ला समितियों के कार्यालय में सूचनापट पर सूचना चिपकाकर,

(v) पठनीय सामग्री छपवाकर जिसमें नागरिक चार्टर, पाम्पलेट आदि शामिल है,

(vi) किसी अन्य विहित प्रकार से।

3– शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निम्न सूचना प्रकट की जायेगी:–

(i) निकाय के मूलभूत विवरण,

(ii) निकाय के गठन का कथन,

(iii) निकाय तथा इसकी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त पाने का तरीका,

(iv) निकाय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पद, दूरभाष संख्या, ई–मेल आदि से युक्त निदेशिका तैयार कर,

(v) निकाय की प्रत्येक शाखा के विशिष्ट अधिकारियों, जो अनुज्ञप्ति, अनुमति, परमिट आदि प्रदान करने हेतु सक्षम हो, का विवरण,

(vi) निकाय की सेवाओं की प्रदायता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण, दूरभाष संख्या सहित,

(vii) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के दो माह के भीतर निकाय का तुलन–पत्र, आय–व्यय का विवरण और नकदी की उपलब्धता,

(viii) प्रत्येक वर्ष की तिमाही के छः माह के भीतर निकाय का संपरीक्षित वित्तीय विवरण,

(ix) जल प्रदायता, नाली, सीवर, ठोस कूड़ा प्रबन्धन, मार्ग, पार्क, खेल का मैदान,

(x) सभी योजनाओं का विवरण और निकाय की सेवाओं या निष्पादित कृत्यों पर प्रस्तावित क्रय और वास्तविक व्यय का विवरण,

(xi) सब्सिडी कार्यक्रमों का विवरण और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के चयन का तरीका और आधार,

(xii) समस्त कल्याणकारी और सब्सिडी आधारित कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची,

(xiii) निकाय के क्षेत्र के विकास की महायोजना, विकास योजना और अन्य योजनाओं का विवरण,

(xiv) बड़े सार्वजनिक कार्यो का विवरण, जिसमें कार्य की लागत, पूर्णतः की अवधि और संविदा का विवरण शामिल हो,

(xv) निकाय की निधियों का विवरण:–

(क) पिछले वर्ष से निकाय की कर तथा करेत्तर श्रोतों से उपार्जित आय, जिसमें जल मूल्य, निकाय की सम्पत्तियों से किराया, बजट, वधशाला से शुल्क, विभिन्न प्रकार के लाइसेन्सों से शुल्क, भवन मानचित्र शुल्क, बेहतरी पर चार्ज, नगर नियोजन की अन्य प्राप्तियां, अतिक्रमण शुल्क, पार्किंग शुल्क और अन्य मदों से आय शामिल है।

(ख) पिछले वर्ष के बकाया कर एवं करेत्तर आय तथा वसूली न किये जाने के कारण।

(ग) रू0 50,000 से ऊपर की सम्पत्ति कर के बकायेदारों की सूची,

(घ) पिछले वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित राजस्व का अंतरण अर्थात् मनोरंजन शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी पर अधिकार, व्यवसाय कर आदि,

(ङ) राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर अनुदान का अंतरण,

(च) सरकार द्वारा सौंपी गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा निर्गत अनुदान और उसकी प्रगति तथा उपयोगिता का स्तर,

(छ) पिछले वर्ष में धन या चंदा आदि से प्राप्त रकम,

(ज) वार्षिक बजट,

(झ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और बच्चों के विकास तथा मलिन बस्तियों के विकास हेतु बजट में राशि का आवंटन तथा उपयोगिता का स्तर,

(ञ) यथाविहित अन्य सूचनायें।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

सं0 /IV(2)-श0वि0–09,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मंत्री जी, शहरी विकास, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. मेयर, नगर निगम, देहरादून
4. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार ढौडियाल)
अपर सचिव।